संख्या-25/2018/472/दो-2-2018-28/2(17)/2018

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 20 फरवरी, 2018**

विषय:- श्री विजय बहादुर, से0नि0, पी0सी0एस0-2001 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री विजय बहादुर, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-01-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियॉ संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री विजय बहादुर के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अत: इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त् ।

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

[redacted] प्रतिलिपि श्री विजय बहादुर, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-95, विनायक पुरम, निकट-सेक्टर-[redacted]कास नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-25/2018/480/दो-2-2018-28/2(17)/2018
लखनऊ: दिनांक: 20 फरवरी, 2018

श्री विजय बहादुर, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-01-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),उत्तर प्रदेश शासन।
2- श्री विजय बहादुर, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-95, विनायक पुरम, निकट-सेक्टर-12, विकास नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-25/2018/535/दो-2-2018-28/2(17)/2018
लखनऊ: दिनांक: 20 फरवरी, 2018

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पची प्रकोष्ठ),
उ0प्र0 शासन।

श्री विजय बहादुर, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-01-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियाँ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से नियुक्ति अनुभाग-2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री विजय बहादुर, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-95, विनायक पुरम, निकट-सेक्टर-12, विकास नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।